<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012024-251318 CG-DL-E-12012024-251318

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] No. 10] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 12, 2024/पौष 22, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 12, 2024/PAUSHA 22, 1945

> वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2024

सार्वजनिक सूचना सं. 37/2023

विषयः पूर्व-पातलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की वैधता को बढ़ाने के संबंध में।

फा. सं. 01/53/8/एएम—20/पीएसआईए—2/आईसी/ई-18059.—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.04 के साथ पठित पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.52 (ग) में दिए गए प्रावधान के अनुसार छूट को निम्नानुसार अधिसूचित करते हैं:—

पूर्व-पोतलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की मान्यता की वैधता को विदेश व्यापार नीति, 2023 के परिशिष्ट एवं आयात-निर्यात प्रपत्र (परिशिष्ट एवं एएनएफ) के परिशिष्ट 2छ में शामिल किया गया है, जो दिनांक 27.12.2023 को तीन वर्ष का उनका मूल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं; को दिनांक 31.03.2024 तक बढाया जाता है।

272 GI/2024 (1)

2. इस सार्वजिनक सूचना का प्रभावः परिशिष्ट एवं एएनएफ के परिशिष्ट २छ में यथा सूचीबद्ध पूर्व— पोतलदान निरीक्षण एजेंसियों (पीएसआईए) की वैधता दिनांक 27.12.2023 से 31.03.2024 तक आगे बढ़ाई गई है।

> संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th January, 2024

Public Notice No. 37/2023

Subject: Extension of validity of Pre-Shipment Inspection Agencies (PSIAs)- reg.

F. No. 01/53/8/AM20/PSIA-2/IC/E-18059.—In exercise of powers conferred under the paragraph 1.03 read with paragraph 2.04 of the foreign Trade Policy, 2023, the Director General of Foreign Trade in relaxation of the provision as in Para 2.52 (c) of Handbook of Procedures, 2023 notifies as under:-

The validity of recognition of the Pre-Shipment Inspection Agency (PSIAs) included in Appendix 2G of Appendices and Aayat Niryat Forms (A&ANF) of Foreign Trade Policy 2023 which are completing their original tenure of three years as on 27.12.2023 is extended upto 31.03.2024.

2. **Effects of this public notice**: Validity of Pre-Shipment Inspection Agency (PSIAs) as listed in the Appendix 2G of A&ANF, has been extended from 27.12.2023 to 31.03.2024.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade Ex-officio Addl. Secy.